न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–76 / 16

1. शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति विश्नोई निवासी 1 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 28.02.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 1 पीएचएम 'ए' के मु0नं0 177 / 30 में 24 बीघा भूमि अंकन है तथा उक्त मुरब्बा कि खातेदारी 25.00 की जारी की गई है । उक्त भूमि में किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा व 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता कटान है। परन्तु आजतक किला नं0 1,10,11,20,21 का रास्ता 30 वर्षो से चालू है और किला नं0 21 ता 25 में जो कटान है वह रास्ता कभी भी चालू नहीं था तथा ना ही वर्तमान में उक्त रास्ते की आवश्यकता है। चक प्लान के अनुसार उक्त रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त रास्ता को निरस्त कर उक्त 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब / रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार खाजूवाला ने जवाब / रिपोर्ट अनुसार वर्तमान रिकार्ड के अनुसार चक 1 पीएचएम के मु0नं0 177 / 30 के किला नं0 1,10,11,20,21,22,23,24,25 में कुल 1 बीघा कमाण्ड पगडंडियॉ तथा रास्ते पगडंडियॉ (चारागाह के लिए नहीं) दर्ज है और इसी

मुरब्बे के किला नं0 1,2 ता 9 10,11,20,21,22,23,24,25 कुल 24 बीघा कमाण्ड भूमि शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति विश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर दर्ज रिकार्ड है।

इस मुरब्बे के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा मौके पर सड़क बनी हुई है तथा मौके पर चालू है। इसी मुरब्बे के किला नं0 21,22,23,24,25 में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि रास्ता काम नहीं आ रहा है तथा मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा खातेदारी सनद, विक्रय विलेख नकल व रकम जमा कराने का चालान की तस्दीक पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और बहस पर मनन किया तथा खातेदारी सनद एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा में भी चक 1 पीएचएम 'ए' के मु0नं0 177/30 की 1 ता 25 भूमि प्रार्थी की खातेदारी है और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के लिपिकीय त्रुटि से दर्ज उक्त रास्ते को खारिज किया जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना न्यायसंगत है। अतः चक 1 पीएचएम 'ए' के मु0नं0 177/30 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता की भूमि को निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.03.16 17:15:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: